विकास आयुक्त कार्यालय
SRLM प्रकोष्ठ
विकास भवन, सेक्टर–19, द्वितीय तल
नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर,
छत्तीसगढ़

बिहान

(Ph.No. 0771-2512395, 0771-2512393, E-mail – mdcgsrlm@gmail.com, www.bihan.gov.in)

क्रमांक 3911/वि–6/NRLM/HR&A/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/02/2025

//विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति 'बिहान' के अंतर्गत राज्य कार्यालय में संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट **www.bihan.gov.in** में आमंत्रित किये जाते है।

पदों का विवरण :–

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	कुल पद संख्या	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100) — विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	
1.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक–मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	66,000-88,000*	01 अना.	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/प्रबंधन संस्था से सांख्यिकी/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर/समकक्ष उपाधि या एम.ई./एम.टेक. (आई.टी./कम्प्यूटर साईस)/एम.सी.ए. उपाधि। **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य स्तर/वरिष्ठ जिला स्तर के पद का न्यूनतम 07 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग /डाटा एनालाइसिस/सांख्यिकी/ मॉनिटरिंग इवाल्यूशन संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
					स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
					प्रेजेंटेशन/कौशल/लिखित परीक्षा	05
					साक्षात्कार	10
2.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक–आजीविका	66,000-88,000*	01 अना.	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/प्रबंधन संस्था से ग्रामीण विकास/कृषि /कृषि–व्यवसाय प्रबंधन/वानिकी/कृषि संकाय से संबंधित स्नातकोत्तर/समकक्ष उपाधि। **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य स्तर/वरिष्ठ जिला स्तर के पद का न्यूनतम 07 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
					स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
					प्रेजेंटेशन/कौशल/लिखित परीक्षा	05
					साक्षात्कार	10

	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	कुल पद संख्या	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
					विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	
3.	सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक–वित्तीय प्रबंधन	51,780	01 अजजा	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / प्रबंधन संस्था से वाणिज्य / प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर / समकक्ष उपाधि। **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य / वरिष्ठ जिला स्तर के पद का न्यूनतम 05 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
					स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
					प्रेजेंटेशन / कौशल / लिखित परीक्षा	05
					साक्षात्कार	10
4.	सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक–फार्म आजीविका	51,780	01 अना.	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / प्रबंधन संस्था से ग्रामीण विकास / कृषि / कृषि–व्यवसाय प्रबंधन / कृषि संकाय से संबंधित स्नातकोत्तर / समकक्ष उपाधि। **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य स्तर / वरिष्ठ जिला स्तर के पद का न्यूनतम 05 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
					स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
					प्रेजेंटेशन / कौशल / लिखित परीक्षा	05
					साक्षात्कार	10
5.	प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	51,780	02 अजजा	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से ग्रामीण विकास / एम.एस. डब्ल्यू. / ग्रामीण प्रबंधन / ग्रामीण तकनीकी में स्नातकोत्तर / समकक्ष उपाधि । **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य स्तर / वरिष्ठ जिला स्तर के पद का न्यूनतम 04 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
					स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
					प्रेजेंटेशन / कौशल / लिखित परीक्षा	05
					साक्षात्कार	10

	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	कुल पद संख्या	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
					विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	
6.	लेखापाल	23,350	01 अजजा	**शिक्षा**— 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। **अनुभव** — स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर—शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
					बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
					कौशल परीक्षा	10
7.	भृत्य	14,400	01 अना. 01 अपिव	**शिक्षा** — मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण। **अनुभव** — न्यूनतम एक वर्ष का भृत्य का अनुभव अनिवार्य (शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर—शासकीय संस्था से अनुभव)।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	85
					न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05

* राज्य कार्यक्रम प्रबंधक पद के एकमुश्त मासिक वेतन के निर्धारण हेतु शासन को लेख किया गया है। भविष्य में राज्य कार्यक्रम प्रबंधक पद हेतु शासन द्वारा निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन लागू होंगे।

नियम एवं शर्तेः—

1. आवेदन सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे। ऑनलाईन आवेदन के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. **ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक 02/03/2025 से वेबसाईट <u>www.bihan.gov.in</u> में दिनांक 24/03/2025 को सायं 05:30 बजे तक खुले रहेंगे।**
3. रिक्त पदों के लिये के पदवार अलग—अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
4. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रोग्राम एक्जीक्युटिव पदों पर आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम सीमा 55 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2024 के आधार पर की जायेगी।
5. राज्य कार्यालय के समस्त आरक्षित पदों के लिये छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। लेखापाल एवं भृत्य पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
6. लेखापाल एवं भृत्य पद हेतु आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय—समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2024 के आधार पर की जायेगी।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।

8. ऑनलाईन में प्रविष्ट की गई सभी जानकारी की दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अंकसूची आदि को अधिकतम 04MB साईज में स्केन कर पी.डी.एफ. फॉरमेट अपलोड करें एवं साक्षात्कार के दौरान मूल प्रति के साथ–साथ छायाप्राति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक– 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।
11. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
13. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
14. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
15. अनुभव प्रमाण–पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा– जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर–शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 03 माह प्रमाणित पे–स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय समिति के पास होगा।
17. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यानुभव रखने वाले अमले को अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक प्रदाय किया जावेगा।
18. शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के अंक के आधार पर प्रथमतया पात्र आवेदक दस्तावेज परीक्षण के दौरान ऑनलाईन में प्रविष्ट की गई सभी जानकारी की दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अंकसूची आदि की मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।
20. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
21. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
22. आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है, तो उसे वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
23. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।

24. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
25. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।
26. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
27. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
28. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
29. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' की वेबसाइट www.bihan.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।
30. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
31. उपरोक्त मांगी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर प्रक्रिया के दौरान/चयन पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
32. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता राज्य मिशन संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

(जयश्री जैन)IAS
मिशन संचालक, SRLM
विकास आयुक्त कार्यालय
नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़